



शहीद भगत सिंह विश्वविद्यालय, असमिकापुर (छ.ग.)

(पंडित जगद्गुरु रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित) मुख्यालय: २५/२००० ग्रन्थालय
Email: registration@shashikiran.edu.in Phone: 07771 333790, Fax: 333791



दिनांक: २५ अक्टूबर २०१७

उत्तरालय: दिनांक २१ / ११/२०१७

विश्वविद्यालय की छोटी घटना घटनाक्रम 10.11.2017 की घटनाक्रम लिखान

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक अन्वेषण दिनांक 10.11.2017 को २०० बजे अपर्याप्त विश्वविद्यालय प्रशासनिक गठन के सामाजिक में सम्पर्क ने बैठक में नियन्त्रित गठन उपलब्ध किए :

१. ओमेशर लोहिणी प्रसाद कुलपति	=	अध्यक्ष
२. डॉ. अमृत गोप्ता (संकायाधिकारी, वीचन विभाग, निचे एकम ग्रन्थालय विभाग संकाय) प्रशासक एकम विभागाधिकारी प्रशासनिक विभाग नियम सरगुण विश्वविद्यालय, असमिकापुर (छ.ग.)	=	महापर्व
३. डॉ. एस. के. शीरासत्त्व (संकायाधिकारी, विभाग संकाय) प्रशासक गोप्तिकशास्त्र शासकीय राजनीतिशिक्षा वेदी कक्षा सांतकोत्तर विश्वविद्यालय, असमिकापुर जिला जशपुर (छ.ग.)	=	महापर्व
४. डॉ. (भीमली) जोसेि रिद्धा प्राचारी शासकीय राजनीतिशिक्षा वेदी कक्षा सांतकोत्तर विश्वविद्यालय, असमिकापुर जिला जशपुर (छ.ग.)	=	महापर्व
५. श्री एस. के. चक्रवर्ती संयुक्त राज्यव छत्तीसगढ़ शासन, निचे विभाग मंत्रालय, गढ़वाली भवन, नया रायपुर (छ.ग.)	=	महापर्व
६. बिनोद बुमार एकम कुलपति	=	सचिव

संघरण कुलपति ने रामी उपरिण्ठ समानन्दीय सदस्यों का स्वागत किया तदोपर्यांत
कुलपति की अनुगति पश्चात् कार्यसूची पर विचार कर निमानुसार निर्णय लिए गए :

- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.10.2017 के कार्यवाली विवरण की संपुष्टि करने पर
विचार करना।
- निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.10.2017 के कार्यवाली विवरण की संपुष्टि की
जानी है।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् वैठक दिनांक 07.10.2017 में लिये गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् वैठक दिनांक 07.10.2017 में लिये गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की जाती है।

3. विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 05 की कंडिका 3 (i) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2018 के लिए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करने पर विचार।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2018 के लिए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

4. विश्वविद्यालय शिक्षण विभागान्तर्गत विधिक अध्ययन विभाग में बी.ए.एलएल.बी. (आनर्स) शासकीय योजनान्तर्गत व बी.बी.ए.एलएल.बी. (आनर्स) पाठ्यक्रम रखितीय योजनान्तर्गत सत्र 2018–19 से प्रारंभ करने हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 179 को सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर के लिए अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय शिक्षण विभागान्तर्गत विधिक अध्ययन विभाग में बी.ए.एलएल.बी. (आनर्स) के लिए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 179 को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया एवम् बी.बी.ए.एलएल.बी. (आनर्स) पाठ्यक्रम रखितीय योजनान्तर्गत सत्र 2018–19 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही – अकादमिक/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग

5. विश्वविद्यालय शिक्षण विभागान्तर्गत विधिक अध्ययन विभाग में बी.ए. एलएल.बी. (आनर्स) व बी.बी.ए. एलएल.बी. (आनर्स) पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 से रखितीय योजनान्तर्गत प्रारंभ करने हेतु शैक्षणिक एवम् अशैक्षणिक पदों के सृजन एवम् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन की ओर अग्रणीत किये जाने पर विचार।

टीप : विधिक अध्ययन विभाग में बी.ए. एलएल.बी. (आनर्स) व बी.बी.ए. एलएल.बी. (आनर्स) पाठ्यक्रम के सफल संचालन हेतु शैक्षणिक पदों में प्राध्यापक – 04, सह प्राध्यापक – 08, सहायक प्राध्यापक – 26, ग्रंथपाल – 01, पुस्तकालय सहायक – 02, बुक लिफ्टर – 02, वरिष्ठ अधीक्षक – 01, सहायक ग्रेड 1 – 01, सहायक ग्रेड 2 – 04, सहायक ग्रेड 3 – 05, भूत्य – 06, रवीपर – 02, पद आवश्यक होंगे। इन पदों पर वार्षिक व्ययभार निम्नानुसार होगा :

शैक्षणिक पदों में	–	रु. 2,62,56,000/-
अशैक्षणिक पदों में	–	रु. 80,40,000/-
पुस्तकों एवम् उपकरणों में	–	रु. 10,00,000/-
		रु. 3,52,96,000/-

निर्णय : विश्वविद्यालय शिक्षण विभागान्तर्गत विधिक अध्ययन विभाग में बी.ए. एलएल.बी. (आनर्स) व बी.बी.ए. एलएल.बी. (आनर्स) पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 से रखितीय योजनान्तर्गत प्रारंभ करने हेतु उपरोक्तानुसार शैक्षणिक एवम् अशैक्षणिक पदों के सृजन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। एतद्विषयक प्रस्ताव अनुमति हेतु शासन को प्रेषित किया जाय।

कार्यवाही – स्थापना/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग

6. विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को जिन्हें उपाधि प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है परन्तु उन्होंने कोर्स वर्क नहीं किया है अतः उनका कोर्स वर्क कराने के लिए व्यवस्था किये जाने पर विचार।

निर्णय : निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को जिन्हें उपाधि प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है परन्तु उन्होंने कोर्स वर्क नहीं किया है अतः जो शोध छात्र एम.फिल उपाधि धारक एवम् उन्होंने एक विषय शोध प्राविधि का पेपर पढ़ा हैं उन्हें छोड़कर शेष शोध छात्रों का कोर्स वर्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में कराने की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

7. विश्वविद्यालय द्वारा किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के किराया दरों का भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षण करने पर विचार।

निर्णय : निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के लिए निविदा जारी की जाय तब तक वाहन किराया दरों का निर्धारण कलेक्टर, सरगुजा द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 01.04.2017 से लागू किया जाय। विगत वर्षों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर किया जाय।

कार्यवाही – वित्त विभाग/वाहन प्रकोष्ठ

8. विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालयीन परीक्षा एवम् अन्य प्रशासकीय कार्यों से प्रिया टूर एण्ड ट्रेवल्स से किराये पर लिये गए वाहनों के निम्नांकित विवरणानुसार किराया का भुगतान स्वीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय : निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालयीन परीक्षा एवम् अन्य प्रशासकीय कार्यों से प्रिया टूर एण्ड ट्रेवल्स से किराये पर लिये गए वाहनों का वर्ष 2015, 2016 का भुगतान पूर्व निर्धारित दर से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं वर्ष 2017 का भुगतान कलेक्टर, सरगुजा द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जो दिनांक 01 अप्रैल 2017 से मान्य की गयी है के अनुसार किया जाय।

कार्यवाही – वित्त विभाग/वाहन प्रकोष्ठ

9. शिक्षक कल्याण निधि के संचालन हेतु विनियम (Regulation) बनाने हेतु पर विचार।

निर्णय : निर्णय लिया जाता है कि शिक्षक कल्याण निधि के संचालन हेतु विनियम (Regulation) बनाने हेतु एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :

01	श्री एस. के. चक्रवर्ती संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)	—	अध्यक्ष
02	डॉ. एम.एम. रंगा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान विभाग सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)	—	सदस्य
03	श्री विनोद कुमार एकका कुलसचिव सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)	—	सदस्य

कार्यवाही – स्थापना विभाग

10. विश्वविद्यालय की वर्ष 2017 की परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का मुद्रण कराने एवं अन्य आनुषांगिक व्यय संबंधी देयक की राशि रु. 7,77,326.00 (सात लाख सतहत्तर हजार तीन सौ छव्वीस रु.) का नियमानुसार भुगतान संबंधित फर्म को किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय : निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2017 की परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का मुद्रण कराने एवं अन्य आनुषांगिक व्यय संबंधी देयक की राशि रु. 7,77,326.00 (सात लाख सतहत्तर हजार तीन सौ छव्वीस रु.) का नियमानुसार भुगतान संबंधित फर्म को किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु व्यवरथा पर विचार।

निर्णय : निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन मार्च माह में कराये जाने हेतु माननीय कुलाधिपति एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदय होंगे तदाशय अनुरोध पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा जाये एवं आयोजन के सफल संचालन हेतु कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करने एवं अन्य व्यवरथाओं के लिए समितियों का गठन करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।

कार्यवाही – गोपनीय/वित्त विभाग

12. विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिये जाने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने पर नियमानुसार शत् प्रतिशत् भुगतान एवं अन्य को रु. 200/- (दो सौ रुपये) प्रतिमाह स्वीकृत किया जाता है।

कार्यवाही – स्थापना/वित्त विभाग

13. विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ट्रायबल एलाउंस स्वीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नियमानुसार ट्रायबल एलाउंस स्वीकृत किया जाता है।

कार्यवाही – स्थापना/वित्त विभाग

14. महाविद्यालयों की सत्र 2017–18 के लिए सम्बद्धता का नवीनीकरण किये जाने पर विचार।

निर्णय : जिन महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2017–18 के लिए सम्बद्धता नवीनीकरण शुल्क अभी तक जमा नहीं की गयी है उनके प्राचार्य को पत्र भेजकर सम्बद्धता नवीनीकरण शुल्क शीघ्र जमा करने हेतु निर्देशित किया जाय साथ ही इसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को दी जाय।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

15. विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् ड्यूटी करने पर अतिरिक्त कार्यभत्ता का दर निर्धारण किये जाने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् ड्यूटी करने पर रु. 50/- प्रति घण्टे (200 रु. अधिकतम प्रतिदिन) अतिरिक्त कार्यभत्ता भुगतान हेतु निर्धारित किया जाता है।

कार्यवाही – स्थापना विभाग/वित्त विभाग

16 पूरक कार्यसूची –

1. डॉ. विजय कुमार द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक गणित, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, लखनपुर-अधिकापुर की पत्नी श्रीमती निधि द्विवेदी के उपचार में हुये व्यय सम्बन्धी चिकित्सा देयकों की सकल राशि रु.1,17,620/- (एक लाख सत्रह हजार छ: सौ बीस रु.) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :(1) डॉ. विजय कुमार द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक गणित, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, लखनपुर-अधिकापुर की पत्नी श्रीमती निधि द्विवेदी के उपचार में हुये व्यय सम्बन्धी चिकित्सा देयकों की सकल राशि रु.1,17,620/- (एक लाख सत्रह हजार छ: सौ बीस रु.) चिकित्सा देयकों की राशि में से रु. 600/- की कटौती करते हुए रु. 1,17,020/- (एक लाख सत्रह हजार बीस रु. मात्र) का भुगतान शिक्षक कल्याण निधि में से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) आगामी बजट में चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु बजट शीर्ष एवं राशि का निर्धारण कर लिया जाय।

कार्यवाही – स्थापना/वित्त विभाग

2. विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में नियुक्त प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों की परीक्षा अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप अग्रिम कार्यवाही करने के पूर्व प्रकरणों की संवीक्षा हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों एवं विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज में नियुक्त प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों की परीक्षा अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप अग्रिम कार्यवाही करने के पूर्व प्रकरणों की संवीक्षा हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति का प्रतिवेदन नियनानुसार औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – स्थापना विभाग

3. श्री बलराम प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ अधीक्षक (संविदा) के आवेदन दिनांक 06.08.2015 पर विचार करना।

निर्णय : श्री बलराम प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ अधीक्षक (संविदा) को देय एकमुश्त वेतन में सिर्फ रु. 5000/- (पाँच हजार रुपए) की वृद्धि की जाय।

कार्यवाही – स्थापना/वित्त विभाग

4. श्री वजीर आलम, सहायक ग्रेड-01 के आवेदन दिनांक 01.11.2017 पर के अनुसार मानदेय में वृद्धि किये जाने पर विचार।

निर्णय : श्री वजीर आलम, सहायक ग्रेड-01 (संविदा) को देय एकमुश्त वेतन वेतन में रु. 5,000/- (पाँच हजार रुपए) की वृद्धि की जाय।

कार्यवाही – स्थापना/वित्त विभाग

5. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.10.2017 के निर्णय क्रमांक 14 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से परीक्षा शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में विचार हेतु गठित समिति की अनुशंसा कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में शुल्क वृद्धि हेतु कुलपति जी के आदेश दिनांक 27.10.2017 की सूचना ग्रहण कर अनुमोदन करने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.10.2017 के निर्णय क्रमांक 14 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से परीक्षा शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में विचार हेतु गठित समिति की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में किये जाने संबंधी कुलपति जी के आदेश दिनांक 27.10.2017 की सूचना ग्रहण कर अनुमोदन किया जाता है।

कार्यवाही – परीक्षा विभाग

6. माननीय उच्च न्यायालय छठीरामद, निलारापुर द्वारा नियुक्त माध्यरथ (ट्रिवूनल) में श्री टी.एम.घाटे द्वारा दायर याचिका के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त माध्यरथ के आदेश रूप परिपत् को अवगत कराना।

निर्णय : माननीय उच्च न्यायालय छठीरामद, निलारापुर द्वारा नियुक्त माध्यरथ (ट्रिवूनल) में श्री टी.एम.घाटे द्वारा दायर याचिका के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त माध्यरथ के आदेश की सूतना ग्रहण की गई।

7. विश्वविद्यालय प्रारंभ में परीक्षा एवं अन्य प्रशासनिक कार्य हेतु निर्माण कराये जा रहे हॉल के मानवित्र व प्राक्कलन का अनुगोदन एवं विश्वविद्यालय निधि रो भुगतान की प्रशासकीय एवम् रूपए 18,00,000/- (अट्ठारह लाख रुपए) की नितीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रारंभ में परीक्षा एवं अन्य प्रशासनिक कार्य हेतु निर्माण कराये जा रहे हॉल के मानवित्र व प्राक्कलन का अनुगोदन एवं विश्वविद्यालय निधि रो भुगतान की प्रशासकीय एवम् रूपए 18,00,000/- (अट्ठारह लाख रुपए) की नितीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही – सम्पदा/वित्त विभाग

8. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी रामद्वता, शोध केन्द्र की मान्यता एवम् महाविद्यालय के निरीक्षण कार्य के सम्बन्ध में गठित समिति के रादरस्यों के यात्रा भत्ता के देयकों का भुगतान सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा किये जाने पर विचार।

निर्णय : निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी सम्बद्धता, शोध केन्द्र की मान्यता एवम् महाविद्यालयों के निरीक्षण कार्य के सम्बन्ध में गठित समिति के रादरस्यों के यात्रा भत्ता के देयकों का भुगतान सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा किया जाय।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

17. अध्यक्ष की अनुगति रो अन्य प्रकरण –

1. श्री जी. एल. नामदेव, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार, (शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव), मीनाक्षी नगर, पोटिया कला, रांसाद निवारा गली, दुर्ग (छ.ग.) के आवेदन के अनुसार संविदा नियुक्ति करने पर विचार।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि श्री जी. एल. नामदेव, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार की विश्वविद्यालय में विभागीय अधिकारी के पद पर नियमानुसार संविदा नियुक्ति की जाय।

कार्यवाही – स्थापना विभाग

2. श्री दल प्रताप सिंह तिवारी, विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी (संविदा) को देय एकमुश्त वेतन में वृद्धि तथा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवा अवधि में वृद्धि करने पर विचार।

निर्णय : श्री दल प्रताप सिंह तिवारी, विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी (संविदा) को देय एकमुश्त वेतन में रूपए 5000/- की वृद्धि की जाय तथा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कमी तथा श्री तिवारी के विश्वविद्यालयीन कार्य के अनुभव को दृष्टिंगत रखते हुए इनके कार्यकाल में एक एक वर्ष की वृद्धि की जाय।

कार्यवाही – स्थापना विभाग

3. विश्वविद्यालय वाहन क्रमांक CG-02-5055 के मरम्मत की शेष राशि रुपए 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए) का भुगतान किये जाने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय वाहन क्रमांक CG-02-5055 के मरम्मत की शेष राशि रुपए 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए) का नियमानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही – विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज/वित्त विभाग

4. मार्गदर्शन संरथान शिक्षा महाविद्यालय, वैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) की जाँच हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय : मार्गदर्शन संरथान शिक्षा महाविद्यालय, वैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) की जाँच हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्रवंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाय तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने पर सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही हेतु प्रकरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

5. पी-एच. डी. प्रवेश परीक्षा के पेपर सेटिंग के पारिश्रमिक राशि का निर्धारण करने पर विचार।

निर्णय : पी-एच. डी. प्रवेश परीक्षा के पेपर सेटिंग के पारिश्रमिक राशि जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में निर्धारित है को अंगीकृत किया जाय।

कार्यवाही – अकादमिक/प्रशासन विभाग

6. अन्तर्विश्वविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में रु. 10,10,000/- (दस लाख दस हजार रुपए) की अग्रिम राशि समन्वयक, शारीरिक शिक्षा एवम् खेल-कूद को स्वीकृत करने संबंधी कुलपति जी के आदेश दिनांक 25.09.2017 की सूचना ग्रहण कर अनुमोदन करना।

निर्णय : अन्तर्विश्वविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में रु. 10,10,000/- (दस लाख दस हजार रुपए) की अग्रिम राशि समन्वयक, शारीरिक शिक्षा एवम् खेल-कूद को स्वीकृत करने संबंधी कुलपति जी के आदेश दिनांक 25.09.2017 की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया जाता है।

कार्यवाही – शारीरिक शिक्षा/वित्त विभाग

7. अन्तर्विश्वविद्यालयीन वॉलीबाल (महिला) प्रतियोगिता 2017 के आयोजन हेतु रु. 5,00,000/- (पाँच लाख रुपए) की प्रशासकीय एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय : अन्तर्विश्वविद्यालयीन वॉलीबॉल (महिला) प्रतियोगिता के आयोजन हेतु रु. 5,00,000/- (पाँच लाख रुपए) की प्रशासकीय एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही – शारीरिक शिक्षा/वित्त विभाग

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करने के पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गई।

(प्रो. रोहिणी प्रसाद)
कुलपति

(विनोद कुमार एक्का)
कुलसचिव